मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग - दो (क्रमांक 52)
शुक्रवार, दिनांक 14 मई, 2010 (वैशाख 24, 1932)

स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प

मध्यप्रदेश विधान सभा के मई, 2010 सत्र में श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, द्वारा दिनांक 11 मई, 2010 को स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण संबंधी प्रस्तुत संकल्प में मध्यप्रदेश विधान सभा के नियमावली के नियम 123 (1) के अधीन, निम्नानुसार संशोधन दिनांक 14 मई, 2010 को प्रस्तुत किया है, जिसे माननीय अध्यक्ष ने स्वीकृत किया है :-

"इस सदन का मत है कि राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समावेशी विकास हो, जिससे प्रदेश वासियों का जीवन उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बने तथा उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर प्राप्त हो। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सदन संकल्प करता है कि हम प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनायेंगे; मूलभूत सेवाओं के विस्तार के साथ अधोसंरचना का निरंतर सुदृढ़ीकरण करेंगे; निवेश का अनुकूल वातावरण निर्मित करेंगे, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य निर्धन वर्ग को सशक्त कर उनकी विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, सुदृढ़ सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा राज्य व्यवस्था का संचालन सुशासन के स्थापित सिद्धांतों पर करेंगे.

अतः माननीय सदस्यगण से प्राप्त विशिष्ट सुझावों के आधार पर निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है :-

"क"

1.	प्रदेश की विकास दर को 9 से 10 प्रतिशत तक रखे जाने का प्रयास किया जाये।
2.	24 घंटे सिंगल फेस विद्युत प्रदाय तथा कृषि कार्यों के लिए 8 घंटे बिजली प्रदाय हेतु फीडर विभक्तीकरण सहित आवश्यक अधो:संरचना निर्मित की जाये।
3.	बिजली की उपलब्धता तथा गुणवत्ता में सुधार एवं बिजली की दरों में कमी करने के उद्देश्य से समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में वर्ष 2013 तक 9 प्रतिशत की कमी लायी जाये।
4.	प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 2013 तक वर्तमान में स्थापित कुल क्षमता में न्यूनतम 5000 मेगावाट की वृद्धि की जाए।
5.	गैर अपरम्परागत ऊर्जा के उत्पादन, उपकरणों एवं ऊर्जा संरक्षण के उपायों के प्रोत्साहन के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाये।
6.	प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों को 4 लेन एवं जिला मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ा जाये, सभी ग्रामों को बारहमासी संपर्क सड़कों से जोड़ा जाये।
7.	चिन्हित राजमार्गों के समुचित संधारण के लिए स्टेट हाईवे फण्ड का निर्माण किया जाये।
8.	शासकीय भवनों के निर्माण के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया जाये।
9.	सुनियोजित विकास के लिए सभी शहरों के सिटी डेवलपमेंट प्लॉन तैयार कराये जायें।

10.	नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए अधो:संरचना बोर्ड का गठन किया जाये।
11.	सभी नगरीय निकायों को फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
12.	इन्दौर एवं भोपाल में मैट्रो ट्रेन फिजिबिलटी सर्वे कराया जाये।
13.	ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री पेयजल योजना प्रारम्भ की जाए।
14.	प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लॉन बनाया जाये।
15.	आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण किया जाए।
16.	आगामी चार वर्षों में सिंचाई की स्थापित क्षमता में 7.50 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की जाए।
17.	सिंचाई की स्थापित क्षमता के समुचित उपयोग के लिए कमाण्ड एरिया डेवलपमेण्ट प्रोग्राम सहित सभी कारगर उपाय किये जाएं।
18.	वैज्ञानिक आधारों पर जल के युक्तियुक्त दोहन की योजना बनायी जाए।
19.	वैज्ञानिक कृषि के लिए मृदा स्वास्थ्य पत्रक (सॉइल हेल्थ कार्ड) तैयार किये जायें।
20.	किसानों को देय अनुदान की राशि सीधे उनके खातों में जमा की जाये।
21.	उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल में आगामी 3 वर्षों में 5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की जाए।
22.	भण्डारगृह क्षमता तथा सुदृढ़ विपणन व्यवस्था के साथ प्रदेश को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाये।
23.	प्रदेश की विपणन सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए।
24.	प्रदेश के सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए।
25.	चिन्हित विकास खण्डों में चलित पशु चिकित्सालय चलाये जायें।
26.	दुग्ध क्रांति लाने के उद्देश्य से दुग्ध समितियों के गठन के साथ नये मिल्क रूट विकसित किए जाएं।
27.	किसान क्रेडिट कार्ड के अनुरूप फिशरमेन क्रेडिट कार्ड पर तीन प्रतिशत ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाये।
28.	मछुआरों की मजदूरी दरों में वृद्धि की जाए तथा प्रभावित मछुआरों के पुनर्वास की नई नीति बनाई जाये।
29.	वन आधारित रोजगार को बढ़ाने के लिए वनों में टसर, लाख एवं चारागाह का विकास किया जाये।
30.	वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य प्रभावी तरीके से किया जाये।
31.	पुनर्वास नीति का समग्र पुनरीक्षण कर किसानों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाये। भावी परियोजनाओं में किसान की भूमि का अर्जन पांच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से कम दर पर नहीं किया जाए।
32.	पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप में अभी तक हुए निवेश में आगामी तीन वर्षों में दुगुनी वृद्धि की जाये।
33.	खनिजों का मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही किये जाने को प्रोत्साहित करने की नीति बनायी जाए।
34.	दिल्ली-मुम्बई, भोपाल-इन्दौर, भोपाल-बीना, जबलपुर-कटनी-सतना-सिंगरौली औद्योगिक कॉरिडोर का योजनाबद्ध विकास किया जाये।
35.	प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में सृजित रोजगार में यथासंभव 50 प्रतिशत प्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाये।
36.	प्रदेश में नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाये।
37.	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाया जाये।

38.	शासकीय प्राधिकरण द्वारा आवंटित ई.डब्ल्यू.एस. आवास एवं भूखंडों के विक्रय-पत्रों/पट्टों को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की जाए।
39.	प्रत्येक आदिवासी विकास खण्ड में अंग्रेजी माध्यम की आश्रम शालायें संचालित की जाए।
40.	50 से कम सीटों वाले आदिमजाति कल्याण विभाग के समस्त छात्रावासों को 50 - सीटर छात्रावासों में परिवर्तित किया जाये।
41.	कपिलधारा से लाभान्वित अनुसूचित जाति के कृषकों को सिंचाई के लिए विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराया जाए।
42.	आगामी 3 वर्षों में सभी जिलों में पिछड़े वर्गों के लिए 100 - सीटर बालक छात्रावास उपलब्ध कराये जायें।
43.	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राशि बढ़ाकर रूपये 10,000 की जाये।
44.	प्रदेश में अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना की जाए।
45.	राज्य बीमारी सहायता निधि एवं दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना का विस्तार किया जाये।
46.	वर्ष 2013 तक शिशु मृत्यु दर वर्तमान 72 से घटाकर 50 प्रति हजार एवं मातृ मृत्यु दर वर्तमान 335 से घटाकर 225 प्रति लाख करने का प्रयास किया जाये।
47.	सकल प्रजनन दर को 2013 तक 2.6 करने का प्रयास किया जाये।
48.	आवश्यकतानुसार पांच किलोमीटर के दायरे में हाईस्कूल की स्थापना की जाये।
49.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सकल पंजीयन अनुपात को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी तीन वर्षों में 15 प्रतिशत प्राप्त करने का प्रयास किया जाये।
50.	गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आई. टी. आई. का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन किया जाये।
51.	प्रदेश की बहुविध बोलियों यथा-बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, बघेली, बैगा, भीली, कोरकू, गौंडी आदि के विकास व संरक्षण का कार्य किया जाये।
52.	राज्य स्तर पर मेलों एवं वृहद् धार्मिक आयोजनों के विकास एवं संचालन के लिए प्राधिकरण गठित किया जाए।
53.	खेल सुविधाओं का विस्तार पंचायत स्तर तक किया जाये।
54.	मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया जाये।
55.	पुलिस बल में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाए तथा इण्डिया रिजर्व बटालियन का गठन किया जाये।
56.	सेना के भूतपूर्व सैनिकों की एक सुरक्षा वाहिनी का गठन किया जाये।
57.	अवैध वन कटाई, अवैध खनिज उत्खनन, बिजली चोरी, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रोकने तथा बी. पी. एल. सूची में दर्ज अपात्र व्यक्तियों के नाम काटने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।
58.	राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए भू-राजस्व संहिता में संशोधन किये जायें।
59.	ग्रामीण आबादी के पट्टे वितरित किये जायें।
60.	पंचायत सचिवों के जिला कैडर की स्थापना की जाये।
61.	ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन आरंभ किया जाये।
62.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु बार कोडेड फूड कूपन योजना लागू की जाये।
63.	राशन की दुकान प्रत्येक कार्य दिवस को खुली रखी जाए।

64.	वैट के अधिकतम प्रकरणों को स्व-कर निर्धारण के दायरे में लाया जाये और कम्पोजीशन की सीमा 60 लाख रूपये की जाए।
65.	पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील प्रशासन स्थापित करने की व्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाए।
66.	एकीकृत वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली स्थापित की जाए।
67.	राज्य में वांछित प्रशासनिक व्यवस्था में निरंतर सुधार की अनुशंसाएं करने का उत्तरदायित्व अटल बिहारी वाजपेई लोक प्रशासन संस्थान को सौंपा जाये।
68.	प्रशासनिक अमले को पुरस्कृत एवं दंडित करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाये।
69.	सिटीजन चार्टर को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम के रूप में लागू किया जाये।
70.	शासकीय खरीदी पारदर्शी एवं उचित दरों पर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में यथोचित परिवर्तन किये जायें।

"ख"

यह भी प्रस्तावित है कि यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करे कि कृषि उत्पादों का वायदा बाजार पूर्णत: बंद करने; प्रदेश के बी. पी. एल. परिवारों की वास्तविक संख्या के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करने; आवासहीनों की संख्या के अनुरूप इंदिरा आवास योजना में राशि प्रदान करने; ताप विद्युत गृहों की आवश्यकता के अनुरूप उचित गुणवत्ता का कोयला प्रदान करने; प्रदेश के वन क्षेत्रों के विकास के लिए CAMPA की राशि विमुक्त करने; शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिये जाने; इंदौर - दाहोद और शेष रेल लाईनें निर्मित करने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की पर्यावरण संबंधी अनुमतियां शीघ्र जारी की जाएं।"

स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण सम्बन्धी यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

डॉ. ए.के. पयासी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.